राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ. 15 (3) (1) सा.सु./पालनहार/2022/76901 जयपुर, दिनांकः 03/02/23

पालनहार योजना के केन्द्रीयकृत भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम 2022 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा नवीन **"पालनहार योजना के केन्द्रीयकृत भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)"** जारी की जाती हैः–

1. उद्देश्य ::

पालनहार योजना लाभान्वित बालक/बालिका एवं पालनहार परिवारों को समय पर पात्रतानुसार प्रत्येक माह केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत निरन्तर आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना।

2. **परिभाषाऐं ::** – जब तक कोई बात अन्यथा प्रतीत नहीं हो तब तक निम्नानुसार दी गई परिभाषाऐं ही इन निर्देशों के निर्वचन (Interpretation) हेतु अन्तिम होगी–

1) **"एकल आहरण एवं वितरण अधिकारी (संपूर्ण राज्य के लिये)"** से तात्पर्य पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2022 के नियम 2 (6) में परिभाषित "प्रभारी अधिकारी" से अभिप्रेत है।
2) **"एकल कोषालय (संपूर्ण राज्य के लिये)"** से तात्पर्य राज्य सरकार के कोष कार्यालय, जयपुर ग्रामीण, जयपुर से अभिप्रेत है।

3. केन्द्रीयकृत भुगतान प्रक्रिया :

1) पालनहार योजना स्वीकृत आवेदन पत्रों की प्रथम/वार्षिक सत्यापन उपरान्त भुगतान स्वीकृति आदेश पूर्व प्रक्रिया के अनुसार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।
2) ब्लॉक कार्यालयों द्वारा जारी की गई भुगतान स्वीकृति के क्रम में ई–बिल संबंधित प्रभारी अधिकारी के एम्बेडेड ई–साइन के तहत उपलब्ध बजट के आधार पर हर महीने की एक निश्चित तारीख (यथासम्भव हर महीने की 7 तारीख को) केंद्रीय रूप से तैयार किए जाएंगे।
3) आंशिक उपलब्धता बजट के मामले में प्राथमिकता का निर्धारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम के भीतर तय मानदंड के माध्यम से किया जाएगा।
4) शेष बिल बजट उपलब्ध होने पर उसी प्रक्रिया के आधार पर ऑटो जनरेट होगें।
5) अगले ही दिन (बिल बनने के बाद) अधिकृत कोषागार अधिकारी के एम्बेडेड ई–हस्ताक्षर के तहत बिल स्वतः समाशोधित हो जाएंगे।

Scanned with CamScanner

6) केन्द्रीयकृत भुगतान के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डवलपमेंट का कार्य उप निदेशक (आई.टी.) द्वारा जिलेवार/ब्लॉकवार किया जावेगा।

7) केन्द्रीयकृत भुगतान के ऑफलाइन रिकॉर्ड का संधारण एवं निगरानी पालनहार प्रशाखा द्वारा की जायेगी।

8) प्रत्येक माह श्रेणीवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य) में भुगतान हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है, का डाटा पालनहार पोर्टल पर प्रदर्शित करवाया जावेगा।

9) पै–मेनेजर (आई.एफ.एम.एस) पर उक्त श्रेणीवार कितनी राशि शेष बची हुई है, का डाटा पालनहार पोर्टल पर प्रदर्शित करवाया जावेगा।

4. संचालन/समीक्षा ::

1) राज्य स्तर पर योजना के केन्द्रीयकृत भुगतान एवं प्रशासनिक कार्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान की अनुमति से प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

2) पालनहार योजना के केन्द्रीयकृत भुगतान की समीक्षा प्रतिमाह विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक द्वारा की जायेगी।

उपरोक्त की व्याख्या व दुर्लभ प्रकरणों में शिथिलता के लिये आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे। किसी भी विवाद में आयुक्त/निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 15 (3) (1) सा.सु./पालनहार/2022/ 76902-916 **जयपुर, दिनांकः** 03/02/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि., राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, (समस्त) ....।
9. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास, सान्याअवि राजस्थान जयपुर।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करवाने हेतु।
11. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, (समस्त) ....।
12. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, (समस्त) ....।
13. रक्षित पत्रावली।

3/2/23

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

Scanned with CamScanner